लय उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

-पत्र नम्बर 12 / 2023

पवन कुमार बनाम श्योपत सिंह

र्थना – पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आरटीए

वन कुमार पुत्र श्री कृष्ण कुमार उर्फ कृष्णलाल जाति जाट नि. शेरगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

प्रार्थी

विरूद्ध

श्योपत सिंह पुत्र श्री मोती सिंह जाति राजपूत निवासी शेरगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ अप्रार्थी

–:आदेश:–

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आर.टी.एक्ट के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी का पंजीकृत पता व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानों के अनुसरण में वही है जो प्रार्थना पत्र के शीर्षक में अंकित है। प्रार्थी के नाम से तहसील संगरिया के चक 16 एम.के.एस. के खाता सं. 114 / 73 में कुल 0.6960 है. कृषि भूमि है, जिसमें 0.02530है. नहरी व 0.4430 बारानी कृषि भूमि है। जिसका विवरण निम्नांकित है:–

चक 16 एम.के.एस. खाता सं. 114 / 73

प.नं.	मु.नं.	किला नं.
171 / 229	71	6 / 0.253है. नहरी
172 / 229	70	9 / 2 / 0.190है. बारानी, 10 / 0.253है. बारानी

प्रार्थी की प्रार्थना पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि में भूमि की काश्त हेतु कृषि औजार, यंत्र व ट्रैक्टर, कम्बाईन व अन्य कृषि कार्य के सम्पादन हेतु आवागमन का मार्ग उपलब्ध नहीं है। जिससे प्रार्थी उक्त वर्णित कृषि भूमि के उपयोग व उपभोग से वंचित है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि को पूर्व से पश्चिम में चल रहे स्वीकृत रास्ते से प.नं. 172 / 229 के मु.नं. 70 के किला नं. 1 की पश्चिमी दिशा की तरफ 16.5 फीट चौड़ा व उत्तर से दक्षिण की ओर जो कि मु.नं. 71 के किला नं. 5 के चिपता हुआ की तरफ 165 फीट लम्बा रास्ता प्रस्वावित (नया) रास्ता है जो कि कृषि भूमि का सबसे निकटतस्थ व लघुतम रास्ता है तथा यह रास्ता पूर्व में स्वीकृत रास्ते पर खुलता है अर्थात रास्ते को जोड़ता है तथा प्रार्थी के लिए आत्यांकित आवश्यक है तथा प्रार्थी के प्रस्तावित रास्ते के वैकल्पिक अन्य कोई रास्ता नहीं है उक्त प.नं. 172 / 229 के मु.नं. 70 के किला नं. 1 पर अप्रार्थी का कब्जा काश्त है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता प्रार्थी के अपनी उपरोक्त कब्जा काश्त खातेदारी की कृषि भूमि में आवागमन, कृषि भूमि कार्यों के सम्पादन व उपयोग–उपभोग के लिए उपलब्ध नहीं है, प्रस्तावित रास्ते को स्वीकृत करवाने के लिए प्रार्थी अधिकारी व दावेदार है तथा जिसे स्वीकृत रास्ता के रूप में एक बीघा (165 फीट) लम्बाई लिए हुए (2बिस्वा) अर्थात $16^{1/2}$ फीट चौडाई लिए हुए अर्थात 2 बिस्वा (0.026है.) गै.मु. [illegible] का अधिकारी व दावेदार है। इसे स्वीकृत किए जाने वाले रास्ते की भूमि के प्रतिकर [illegible] न्यायालय द्वारा जो भी न्यायाचित आदेश प्रार्थी को दिया जाएगा प्रार्थी उसकी पालना हेतु त[illegible] तैयार है व रहेंगा। प्रार्थी को अप्रार्थी आश्वासन देता रहा कि यह उक्त [illegible] से राजस्व अभिलेख में गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत करवा देगा, किंतु अंत में [illegible] सप्ताह प्रार्थी के [illegible] न्यायोचित निवेदन को ठुकरा दिया। प्रार्थी द्वारा समझौता माध्यम से भी प्रयास किया किंतु अप्रार्थी ने अस्वीकार कर दिया यही वाद कारण है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मार्ग स्वीकृत हेतु 2 / के न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है तथा माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है तथा समयावधि में प्रस्तुत है।

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.05.21 15:03:21 IST
Reason: SelfAttested

अत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चरण सं. 4 के अनुसार प्रार्थी को अपनी कृषि में आवागमन, कृषि कार्यों उत्पादन व उपयोग उपभोग करने हेतु, पत्थर लाईन पर स्वीकृत रास्ते से प.ह. 172/229 के मु.न. 70 किला नं. 1 की पश्चिम दिशा की तरफ $16^{1/2}$ फीट चौड़ा व उत्तर से दक्षिण की ओर जो कि मु.न. 71 किला नं. 5 के साथ विपता हुआ 165 फीट लम्बा रास्ता प्रस्तावित रास्ता की व्यवस्था कर रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व अभिलेख में गैर-मुमकिन के रूप में अंकन किया जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना-पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर जवाब प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया। इस कार्यालय द्वारा तहसीलदार सगरिया से उक्त रास्ता के प्रकरण को सही रूप से निस्तारण करने एवं मौका की जांच रिपोर्ट चाही जाने पर उन्होंने अपने पत्र क्रमांक 237 दिनांक 04.08.2023 द्वारा पक्षकार आपस में सहमत नहीं होना व प्रार्थी को रास्ता अत्यधिक आवश्यकता होना एवं रास्ता स्वीकृत किये जाने की अनुशंषा की गई।

पत्रावली में तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, मुताबिक रिपोर्ट रास्ता की अत्यातिक आवश्यकता है, रास्ता की मांग सुविधा के लिये नहीं की जा रही है जबकि आवश्यकता होने पर स्वीकृत करवाना चाहता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थना-पत्र प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 251 ए के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु "रास्ते की आत्यतिक आवश्यकता" एवं वैकल्पिक रास्ते का अभाव पर विचारण किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार से स्पष्टतया प्रकट होती है कि प्रार्थी की कृषि भूमि चक 16 एमकएस में काश्त करने बाबत जाने हेतु मन्जूर शुदा रास्ते का अभाव होने से रास्ते की आत्यतिक आवश्कता है। अत यह रास्ता सुविधा के लिए नहीं अपितु आत्यतिक आवश्यकता के लिए है। अत न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए में अप्रार्थी के रकबा में से चक 16 एमकएस के प.ह. 172/229 मु.न. 70 किला नं. 1 की पश्चिम दिशा की तरफ $16^{1/2}$ फीट चौड़ा व उत्तर से दक्षिण की ओर जो कि मु.न. 71 के किला नं. 5 के साथ विपता 165 फीट लम्बा रास्ता डीएलसी की 2 गुणा राशि 15 दिवस में तहसील कार्यालय में नियमानुसार जमा करवाये तथा राशि जमा करवाये जाने के बाद प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत शुमार समझा जावे और इसका अंकन गैर मुमकिन रास्ता के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाकर बांट करवाया जावे। अप्रार्थी को जमा राशि का भुगतान उनके कब्जे अनुसार भू.अ.निरीक्षक की उपस्थिति में हल्का पटवारी द्वारा किया जाना सुनिश्चित करावे, तहसीलदार संगरिया को पालनार्थ लिखा जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

आदेश आज दिनांक 06-05-2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मेरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.05.21 16:03:21 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official